

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

कमांक:—स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 3118 / 2024

दिनांक 21.09.2024

श्री मुकुल गहलोत (RJ00948), अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कम-10, जयपुर महानगर-द्वितीय (मुख्यालय-चौमू) को दिनांक 29.07.2024 से 08.08.2024 तक 11 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 27.07.2024 से 28.07.2024 एवं 09.08.2024 से 11.08.2024 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्री गहलोत की अनुपस्थिति में अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कम-01, जयपुर महानगर-द्वितीय ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कम-10, जयपुर महानगर-द्वितीय (मुख्यालय-चौमू) के पद पर ही की गई।

आज्ञा से
20/9/24
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

कमांक:—स्था.बी.2(4)/177/2015/ 7482

दिनांक 21.09.2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर-द्वितीय को उनके पत्रांक 5299 दिनांक 20.08.2024 के सन्दर्भ में।
3. श्री मुकुल गहलोत (RJ00948), अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कम-10, जयपुर महानगर-द्वितीय (मुख्यालय-चौमू)।
4. अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कम-10, जयपुर महानगर-द्वितीय (मुख्यालय-चौमू)।
5. अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कम-01, जयपुर महानगर-द्वितीय।

20/9/2024
सहायक रजिस्ट्रार